सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– नरेश कुमार शर्मा
आई0ए0एस0

निगरानी सं0 04/2016

1. धारासिंह पुत्र जगदीश ,
2. ओमप्रकाश पुत्र रघुवीर समस्त जाति गुर्जर निवासी सबलपुरा तहसील लवाण जिला दौसा राज0

... प्रार्थी

बनाम

1. ग्राम पंचायत सिंगवाडा जरिए सरपंच ग्राम पंचायत सिंगवाडा तहसील लवाण जिला दौसा
2. ग्राम पंचायत सिंगवाडा जरिए उपसरपंच ग्राम पंचायत सिंगवाडा तहसील लवाण जिला दौसा
3. ग्राम पंचायत सिंगवाडा जरिए सचिव ग्राम पंचायत सिंगवाडा तहसील लवाण जिला दौसा
4. ग्राम पंचायत सिंगवाडा जरिए वार्ड पंच बाबूलाल वार्ड नं0 9 निवासी ग्राम सबलपुरा तहसील लवाण जिला दौसा

...अप्रार्थी

निगरानी विरूद्ध प्रस्ताव संख्या 6 ग्राम सभा पंचायत सिंगवाडा तहसील लवाण दिनांक 20.04.2015 राज0 पंचायत राज अधिनियम 1994 धारा 97

उपस्थितः 1. श्री उम्मेदसिंह गुर्जर, अधिवक्ता निगरानीकार

निर्णय

दिनांक 06.12.17

संक्षिप्त विवरण निगरानी अन्तर्गत धारा–97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत सिंगवाडा पंचायत समिति लवाण द्वारा आदेश दिनांक 20.04.2015 द्वारा खसरा नंबर 44 में से रकबा 3 बीघा खसरा नंबर 45 मे से रकबा 0.12 हैक्ट0 खसरा नंबर 17 में से 0. 12 हैक्ट वाके ग्राम सबलपुरा तह0 लवाण की भूमि आबादी में परिवर्तन का प्रस्ताव लिया व अनुमोदन किया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह निगरानी पेश की गई है।

निगरानी दर्ज रजिस्टर की गई । अप्रार्थींगण को तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवायी गयी । बहस प्रार्थी सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार की बहस में दलील है कि ग्राम सबलपुरा तहसील लवाण में राजकीय चारागाह भूमि खसरा नंबर 44, 45, 17 स्थित है उक्त भूमि पशुओं को चराने के काम आती है जनसख्या अनुपात में गांव की पूर्व में ही आबादी भूमि पर्याप्त है सभी ग्राम वासियों के पूर्व आबादी भूमि मे मकान बने हुए है कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा उक्त चारागाह भूमि पर अवैध कब्जा कर पुख्ता मकान बना लिये गये है। ग्राम पंचायत सिंगवाडा वर्तमान सरपंच व उपसरपंच ने सांठ गांठ कर गलत तरीके से गुपचुप में पंचायत कोरम से छिपाकर कोरम की सहमति के बिना किसी की प्रार्थना परत्र दिनांक 20.04.2015 को खसरा नंबर 17 में से 12 ऐयर भूमि को आबादी मे परिवर्तन कराने का प्रस्ताव संख्या 6 ग्राम सभा दिनांक 20.04.2015 को लिया गया व अनुमोदन लिया गया जो गलत है अतः उक्त प्रस्ताव को निरस्त करवाने हेतु निगरानी निम्न आधारों पर पेश हैः 1. प्रस्ताव संख्या 6 ग्राम सभा ग्राम पंचायत सिंगवाडा दिनांक 20.04. 2015 खसरा नंबर 44 में से 33 बीघा, खसरा नंबरर 45 में से 12 ऐयर व खसरा नंबर 17 में से 12 ऐयर भूमि आबादी में परिवर्तन हेतु प्रस्ताव अनुमोदन विधि विरूद्ध प्रकिया नियम तथ्य के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है, 2. उक्त प्रस्ताव अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने साज करके अप्रार्थी संख्या 01 की अनुपस्थिति मे ग्राम सभा में कोरम से छिपाकर गुपचुप तरीके से पूर्व सरपंच

के दबाव मे आकर अपने चहेतो को लाभ पहुचाने के लिए अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए पारित करके प्रस्ताव पारित किया गया है, 3. उक्त प्रस्ताव को गुपचुप तरीके से बिना कोरम की जानकारी में अनुमोदन करने का यह स्पष्ट प्रमाण है कि उक्त प्रस्ताव पर कोरम के हस्ताक्षर है प्रस्ताव संख्या 6 रजिस्टर/कार्यवाही रजिस्टर में दो बार अंकित है। जो इस बात को और स्पष्ट करता है कि प्रस्ताव संख्या 5 बाद में खाली जगह छोडकर प्रस्ताव संख्या 6 राशन सामग्री का वितरण बाबत लिया गया था लेकिन अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने साज कर बाद में प्रस्ताव संख्या 5 के बाद खाली जगह में प्रस्ताव संख्या 6 आबादी परिवर्तन बाबत अनुमोदन दिखाकर राशन सामग्री वितरण बाबत प्रस्ताव को 6(1) कर दिया गया जबकि कार्यवाही रजिस्टर में अन्य प्रस्तावों में 1 का सबक्लोज नही दिया गया है, 4. उक्त चारागाह भूमियों पर प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा अवैध कब्जा कर निर्माण कर रखा है। लेकिन विपक्षीगणों द्वारा उक्त भूमि खाली भी नही कराई गई खाली नही है तो उसे पहले खाली करवायी जाती है। बिना खाली भूमि या अवैध कब्जाशुदा भूमि का प्रस्ताव नही लिया जा सकता है। किन्तु उक्त भूमि खाली कराये बिना प्रस्ताव लेकर कानूनी गलती की है, 5. खसरा नंबर 45, 44, 17 चारागाह भूमि मे से आबादी में परिवर्तन बाबत प्रस्ताव लेने के लिए कोई आवेदन या प्रार्थना पत्र भी कोरम के समक्ष पेश नही हुआ जो कि कार्यवाही/प्रस्ताव रजिस्टर से प्रमाणित है , 6. अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 03 ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए अवैध लाभ कमान की नीयत से बिना किसी की प्रार्थना पर प्रश्नगत प्रस्ताव पारित किया गया है, 7. गांव में पशुओं के चराने के लिए चारागाह भूमि की कमी है। जनसंख्या अनुपात में गांव की पूर्व आबादी भूमि पर्याप्त है कानूनन भी जनसंख्या अनुपात से अधिक भूमि का आबादी परिवर्तन नही किया जा सकता है। किन्तु अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 03 ने अवैध लाभ कमाने के उद्धेश्य से प्रस्ताव लेकर कानूनी गलती की है। अतः निगरानी खारिज योग्य है।

ग्राम पंचायत की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से निगरानीकार की इकतरफा बहस सुनी गई एवं गुणावगुण के आधार पर प्रकरण का निस्तारण करना उचित समझते हुए बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 20.04.2015 को प्रस्ताव संख्या 6 में अंकित किया है कि ''ग्राम सबलपुरा में आवास के लिए भूमि कम पडती है। जिसके लिए ग्राम पंचायत द्वारा पूर्व में आबादी में परिवर्तन के लिए प्रस्ताव तैयार करके श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी को भिजवाया गया है। ग्राम सभा में पुनः अनुमोदन के लिए पेश किया गया। खसरा नंबर 44 में से रकबा 3 बीघा खसरा नंबर 45 मे 12 एयर खसरा नंबर 17 में .12 एयर भूमि आबादी में परिवर्तन करने का प्रस्ताव सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया।'' गॉवों में वहॉ की आवश्यकता के संबंध में ग्राम पंचायत कोरम द्वारा निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। उनके द्वारा अपने उक्त प्रस्ताव में ग्राम सबलपुरा में आवास के लिए भूमि कम पडने पर उक्त प्रस्ताव लिया जाना प्रकट होता है। ग्राम पंचायत के आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। ऐसी स्थिति में निगरानी खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकर्ता की निगरानी अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है। ग्राम पंचायत का प्रस्ताव यथावत रखा जाता है। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो ।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 06 दिसम्बर, 2017 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official